



टी बोर्ड

14, बिप्लवी त्रैलोक्य महाराज सरणी

कोलकाता – 700 001

वेबसाइट : <https://teaboard.gov.in>

दूरभाष : 033-2235 1331

ई-मेल : secretary.tbi-wb@gov.in Extn.: 278

संदर्भ सं एलसी/e-आरसीएमसी/2022/ 468

दिनांक: 06.04.2023

परिपत्र

विषय: आरसीएमसी की वैधता अवधि

विदेश व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 1/2023 दिनांक 31 मार्च, 2023 को अधिसूचित विदेश व्यापार नीति, 2023। तदनुसार, टी बोर्ड इंडिया चाय निर्यातकों को आरसीएमसी जारी करेगा।

आरसीएमसी लाइसेंसिंग वर्ष के 1 अप्रैल से लाइसेंसिंग वर्ष के 31 मार्च तक या निर्यातक लाइसेंस की वैधता तक, जो भी पहले हो, पांच वर्ष के लिए वैध होगा।

तदनुसार, 31.03.2023 तक की वैधता के साथ आरसीएमसी रखने वाले आवेदक मौजूदा आरसीएमसी के नवीनीकरण के लिए डीजीएफटी पोर्टल <https://www.dgft.gov.in> के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार, नए निर्यातक उसी पोर्टल के माध्यम से आरसीएमसी जारी करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

ह/-

(रजनीगंधा सील नस्कर)

अनुज्ञापन नियंत्रक

वितरण:

1	सभी चाय उत्पादक संघ	कृपया सूचना हेतु
2	सभी क्रेता संघ	
3	सभी निर्यातक संघ	
4	कार्यपालक निदेशक, टी बोर्ड, गुवाहाटी	
5	कार्यपालक निदेशक, टी बोर्ड, कून्नूर	
6	उपनिदेशक, टी बोर्ड, सिलिगुड़ी	
7	प्रभारी, टी बोर्ड, पालमपूर	